

संख्या- 08/2025-26

द का प्रकार- दाखिल खारिज (तुलेश्वर राणा एवं अन्य बनाम चौधरी साव एवं अन्य)

जिला-चतरा

अंचल- पथलगडा

आदेश की संख्या
एवं तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी, का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी सहित
तारीख

दाखिल खारिज वाद सं0-08/2025-26 द्वारा केता श्रीमति मिना देवी

26/5/2025

पति चन्द्रमणी यादव तथा विक्रेता श्री तुलेश्वर राणा पिता स्व0 चमन राणा ग्राम नोनगाँव के द्वारा दाखिल खारिज हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जिसे दिनांक 19.04.2025 को कार्यालय द्वारा नोटिस निर्गत कर मूल राजस्व कागजात कि मांग किया गया, जिसपर दिनांक 26.05.2025 को उसी ग्राम के श्री चौधरी साव, श्री दुलार साव व श्री सुभाष साव सभी के पिता स्व0 बासुदेव साव तथा श्री रघुनंदन साव पिता स्व0 बिशेश्वर साव के द्वारा आवेदन देकर उक्त दाखिल खारिज को रोक लगाने हेतु आपत्ति/अनुरोध किया गया है। अतः दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर संबंधित भूमि का राजस्व कागजात कि मांग करें तथा हल्का राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, अभिलेख दिनांक..

10/6/2025 को उपस्थापित करें।

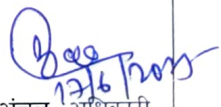

अंचल अधिकारी,
पथलगडा ।

अभिलेख उपस्थापित।

दोनों पक्ष उपस्थित हुए एवं राजस्व कागजात की छायाप्रति प्रस्तुत किया। राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा नोनगाँव के थाना सं0-67 में ऑनलाईन पंजी-II के पृ0सं0-66/1 पर खाता सं0-70, खेसरा सं0-618, रकवा-0.47ए0 एवं अन्य खेसरा के साथ कुल रकवा-06.06ए0 भूमि की विक्रेता तुलेश्वर राणा के बाबा खेदु बड़ई के नाम से वर्ष 2024-25 तक लगान रसीद निर्गत है एवं बिक्री की गई भूमि सर्वे खतियान के अनुसार बकास्त खाता दर्ज है।

स्थल जाँच के क्रम में पाया गया कि प्रश्नगत् भूमि वर्तमान में परती है।

पुनः दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर संबंधित भूमि का अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 17/6/2025 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
पथलगडा ।

अभिलेख उपस्थापित।

17/6/2025

प्रथम पक्ष अनुपस्थित एवं द्वितीय पक्ष उपस्थित। अद्योहस्ताक्षरी के व्यस्थतता के कारण अभिलेख की कार्रवाई नहीं हो सकी। अतः दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर संबंधित भूमि का अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 04/07/2025 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
पथलगडा ।

025

अभिलेख उपस्थापित।

प्रथम पक्ष की ओर से मीना देवी पति चन्द्रमणी यादव अनुपस्थित एवं तुलेश्वर राणा उपस्थित हुए जबकि द्वितीय पक्ष की ओर से चौधरी साव वो रघुनन्दन साव उपस्थित हुए तथा अन्य दो व्यक्ति अनुपस्थित रहें।

प्रथम पक्ष तुलेश्वर राणा पिता चमन राणा के द्वारा बतलाया गया कि बिक्री की गई भूमि इनके दादा छटु मिस्त्री के नाम से खतियान के द्वारा प्राप्त है। जिसे केवाला सं०-1434 द्वारा मिना देवी पति श्री चन्द्रमणी यादव को खाता सं०-70, प्लॉट सं०-618, रकबा-0.14ए० बिक्री की गई है।

द्वितीय पक्ष चौधरी साव पिता स्व० बासुदेव साव के द्वारा बतलाया गया कि प्रश्नगत भूमि इनके पिता बासुदेव साव को निलामी से प्राप्त हुआ जिसका कागजात प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निलामी कागजात में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा के न्यायालय में भूमि लगान निर्धारण केश नं०-179/1970 एवं 282/1973 के आलोक में अंवल कार्यालय ईटखोरी के विविध वाद सं०-36/1982-83 में पारित आदेशानुसार यह मांग दर्ज किया गया है।

द्वितीय पक्ष रघुनन्दन साव पिता स्व० विशेश्वर साव के द्वारा बतलाया गया कि वर्तमान में यह मामला व्यवहार न्यायालय, चतरा के न्यायालय में ADJ के पास वाद सं०-14/2020 दुलार साव बनाम रघुनन्दन साव लंबित है।

स्थल जाँच के क्रम में तथा स्थानीय पुछ-ताछ में बतलाया गया कि उक्त भूमि लगभग 30 वर्षों से परती है।

दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से प्रथम पक्ष का दावा इनके दादा खटु बड़ई पिता जैदनाथ बड़ई के नाम से खतियान द्वारा प्राप्त है तथा ऑनलाईन पंजी-II के पृ० सं०-66 पर खाता सं०-70, प्लॉट सं०-618, रकबा-47डी० एवं अन्य प्लॉटों के साथ जमाबंदी कायम है। द्वितीय पक्ष चौधरी साव वगै० का दावा इनके पिता बासुदेव साव वो दुलार साव वगै० को निलामी से प्राप्त है जो ऑफलाईन पंजी-II के पृ० सं०-122/3 खाता सं०-70 एवं अन्य खाता, रकबा-53.11ए० भूमि दर्ज है।

इस प्रकार दोनों पक्षों के पूर्वजों के नाम से पंजी-II में जमाबंदी कायम है, इससे यह प्रतीत होता है कि यह मामला दोहरी जमाबंदी का है। विक्रेता द्वारा दिनांक 04.07.2025 को उपस्थित होकर आवेदन के माध्यम से नामान्तरण वाद सं०-08/25-26 को तत्काल रोक लगाने का आग्रह किया गया है। द्वितीय पक्ष का दावा व्यवहार न्यायालय, चतरा में लंबित रहने के कारण वर्तमान के लिए अभिलेख की कार्यवाई स्थगित रखी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


अंवल अधिकारी,
पथलगडा।


अंवल अधिकारी,
पथलगडा।